

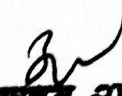
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमति बाली पत्नी नारायण गुर्जर **बनाम** बालुलाल पिता छोगा गुर्जर

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 76 / 2022

15.02.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-76/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमति बाली पत्नि नारायण गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।

- प्रार्थी

बनाम

1. बालुलाल पिता छोगा गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. ईश्वरलाल पिता छोगा गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. कन्हैयालाल पिता छोगा गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नारायण पिता भैरु गुर्जर निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. भोजा पिता भैरु गुर्जर निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. शंकर पिता डालू कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. सुखदेव पिता डालू कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
8. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
9. गोपाल पिता रंगलाल कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
10. नानूराम पिता भूरा कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
11. भैरु पिता रंगलाल कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
12. मांगीलाल पिता छोगालाल कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
13. रतन पिता छोगा कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
14. किशनलाल पिता बालू गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
15. सुखदेव पिता तुलसीराम गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
16. सुरेश पिता बालू गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
17. उदा पिता परसा गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
18. उदा पिता देवा गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
19. रेमता पिता सवाईराम गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
20. शम्भु पिता सवाईराम गुर्जर निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
21. सुखदेव पिता नन्दलाल सैन निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
22. कोमल पत्नि संजय जागेटिया निवासी गणेश मन्दिर के पास पुर तहसील व जिला भीलवाडा
23. भोलीराम पिता गंगाराम सैन निवासी निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
24. खेमराज पिता भूरा कुमावत निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
25. राजस्थान राज्य जूरिये तहसीलदार भीलवाडा।

-विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 15.02.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औझागर प0ह0 रामपुरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1001/2 रकबा 0.2655 हैक्टयर आ0नं0 1071/2 रकबा 0.3794 हैक्टयर आ0नं0 1073 रकबा 0.2023 हैक्टयर आ0नं0 1074 रकबा 0.2276 हैक्टयर आ0नं0 761/1 रकबा 0.5058 हैक्टयर आ0नं0 761/3 रकबा 0.5437 हैक्टयर आ0नं0

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

775/2 रकबा 0.0506 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 2.1749 हैक्टर भूमि का खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम औझागर प0ह0 रामपुरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1001/2 रकबा 0.2655 हैक्टर आ0नं0 1071/2 रकबा 0.3794 हैक्टर आ0नं0 1073 रकबा 0.2023 हैक्टर आ0नं0 1074 रकबा 0.2276 हैक्टर आ0नं0 761/1 रकबा 0.5058 हैक्टर आ0नं0 761/3 रकबा 0.5437 हैक्टर आ0नं0 775/2 रकबा 0.0506 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 2.1749 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम औझागर प0ह0 रामपुरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1001/2 रकबा 0.2655 हैक्टर आ0नं0 1071/2 रकबा 0.3794 हैक्टर आ0नं0 1073 रकबा 0.2023 हैक्टर आ0नं0 1074 रकबा 0.2276 हैक्टर आ0नं0 761/1 रकबा 0.5058 हैक्टर आ0नं0 761/3 रकबा 0.5437 हैक्टर आ0नं0 775/2 रकबा 0.0506 हैक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 2.1749 हैक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 450/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक गुरलां 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काशतकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 गुरलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।



(Signature)
(ओम प्रभा)
उपसचिव
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)
उपसचिव
भीलवाडा